तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/टीए/3246/2004/भरतपुर हरचन्द बनाम ओमवीर सिंह	

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अशोक नाथ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29.06.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार सहायक कलक्टर ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तीनों दावों में पक्षकार एवं विवादित आराजी भिन्न–भिन्न है तथा चाहा गया अनुतोष भी भिन्न–भिन्न है, जिनका एक साथ विचारण नहीं हो सकता है किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10–3–2004 से तीनों दावों की सुनवाई एक साथ किये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3246/2004/भरतपुर हरचन्द बनाम ओमवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर तीनों दावों की एक साथ सुनवाई किये जाने के आदेश दिनांक 10-3-2004 को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया किन्तु विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत जाकर सरसरी तौर पर प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तीनों दावों की प्रकृति समान नहीं है तथा तीनों दावों में विवादित भूमि व पक्षकारान की अलग अलग है तथा वाद कारण भी अलग अलग है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर तीनों दावों की सुनवाई पृथक पृथक किये जाने के आदेश पारित किये जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि तीनों दावों में निहित विवादित आराजी समान है तथा पक्षकारान भी लगभग समान है एवं चाहा गया अनुतोष भी लगभग समान है। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तीनों दावों की सुनवाई एक साथ किये जाने का आदेश पारित किया। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने तीनों दावों की एक साथ सुनवाई किये जाने के आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3246/2004/भरतपुर हरचन्द बनाम ओमवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या–851/2002 बउनवानी हरचन्द बनाम अंछी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.11हैक्टयर विवादित है। वाद संख्या–852/2002 बउनवानी भगवत बनाम अंछी में खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.25हैक्टयर विवादित है। इसी प्रकार वाद संख्या–930/2002 बउनवानी ओमवीर बनाम हरचन्द में वादी ओमवीर ने जरिये विक्रयपत्र विवादित आराजी के दोनों खसरा नम्बर 1652 व 1649 मूला व लच्छी से क्रय किये, जिसके बाबत् वादी ओमवीरसिंह की ओर से तीसरा दावा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष तीनों दावों में विवादित आराजी समान है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 3–8–2002 में मूला व लच्छी को खसरा नम्बर 1649 व 1652 पर अंछी के स्थान पर उन्हें उत्तराधिकारी माना है। उक्त से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित तीनों दावों में विवादित आराजी समान होने, चाहा गया अनुतोष एवं पक्षकारान के समान होने से उक्त तीनों दावों का विचारण एक साथ किया जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तीनों दावों की सुनवाई एक साथ किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धासरा 151 जाप्ता दीवानी को विचारण न्यायालय ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3246/2004/भरतपुर हरचन्द बनाम ओमवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तीनों प्रकरणों के तथ्यों, पक्षकार आदि का विवेचन करते हुए विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	